क्रम-संख्या—77

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू. पी०—41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 27 फरवरी, 2004

फाल्गुन 8, 1925 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 390 / सात—वि—1—1 (क)-10-2004

लखनऊ, 27 फरवरी, 2004

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 2004 पर दिनांक 26 फरवरी, 2004 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 2004 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2004

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 2004)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 और उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952 तथा उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय—एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2004 कहा जाएगा।

(2) यह पहली अप्रैल, 2004 को प्रवृत्त होगा।

अध्याय–दो

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1980 की धारा 3 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 की, जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में, उपधारा (1) में शब्द "दो हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "तीन हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 4 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 4 में शब्द "पांच हजार रुपयें" के स्थान पर शब्द "सात हजार पांच सौ रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 5 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 5 में,–

(क) उपधारा (1) में शब्द और अंक "और 1 जून, 1998 से अट्ठासी हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक" के स्थान पर शब्द और अंक "1 जून, 1998 से अट्ठासी हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक और 1 अप्रैल, 2004 से एक लाख बीस हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में,—

(1) शब्द "दस हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "बीस हजार रुपये" रख दिये जायेंगे;

(2) प्रथम परन्तुक में खण्ड (ख) में शब्द "तीन हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "पांच हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 14 का संशोधन

5–मूल अधिनियम की धारा 14 में खण्ड (घ) में द्वितीय परन्तुक में शब्द "दो से अधिक सदस्य" के स्थान पर शब्द "पांच से अधिक सदस्य" रख दिये जायेंगे।

धारा 15 का संशोधन

6–मूल अधिनियम की धारा 15 में,–

(क) उपधारा (1) में शब्द "दो सौ पचास रुपये" के स्थान पर शब्द "तीन सौ रुपये" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में शब्द "दो सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "दो सौ पचास रुपये" रख दिये जायेंगे;

(ग) उपधारा (3) में शब्द "दो सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "दो सौ पचास रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 15-क का संशोधन

7–मूल अधिनियम की धारा 15-क में शब्द "एक हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "दो हजार पांच सौ रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 18-क का संशोधन

8–मूल अधिनियम की धारा 18-क में, खण्ड (क) में शब्द "एक हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "दो हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 24 का संशोधन

9–मूल अधिनियम की धारा 24 में,–

(क) उपधारा (1) में शब्द "एक हजार पांच सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "दो हजार रुपये" रख दिये जायेंगे;

(ख) परन्तुक में शब्द "दो सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "दो सौ पचास रुपये" रख दिये जायेंगे;

(ग) प्रथम परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :–

"परन्तु यह और कि विधान सभा भंग होने की स्थिति में विधान सभा के भंग होने की तिथि से नयी विधान सभा के प्रथम उपवेशन तक की अवधि की गणना ऐसे सदस्य के पेंशन प्रयोजनों के लिए की जायेगी जो भंग विधान सभा का अध्यक्ष रहा हो और उक्त अवधि के दौरान इस रूप में अपने पद पर आसीन रहा हो।"

(घ) उपर्युक्त परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:—

"**स्पष्टीकरण**—जहां किसी व्यक्ति ने सभा या परिषद् के सदस्य के रूप में छः माह या उससे अधिक किन्तु एक वर्ष से कम अवधि के लिए कार्य किया हो वहां इस धारा के प्रयोजनार्थ यह समझा जाएगा कि उस व्यक्ति ने एक वर्ष के लिए सदस्य के रूप में कार्य किया है।"

अध्याय तीन

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम,1952 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1952 की धारा 2 का संशोधन

10—उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, उपधारा (1) में शब्द "दो हजार पाँच सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "पाँच हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 4 का संशोधन

11—मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (3) में शब्द "दो हजार पाँच सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "पाँच हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

अध्याय—चार

उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 1981 की धारा 3 का संशोधन

12—उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 की धारा 3 में,—

(क) उपधारा (1) में शब्द "दो हजार पांच सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "पांच हजार रुपये" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में शब्द "दो हजार दो सौ पच्चीस रुपये" के स्थान पर शब्द "चार हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

उद्देश्य और कारण

मूल्यों में वृद्धि और उत्तरदायित्व में अभिवृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए यह समीचीन समझा गया कि जनहित में राज्य विधान मण्डल के सदस्यों और अधिकारियों और मंत्रीगण को अनुमन्य वेतन, भत्तों, रेलवे कूपन और अन्य सुविधाओं को पुनरीक्षित किया जाय और भूतपूर्व सदस्यों को अनुमन्य पेंशन और रेलवे कूपन में वृद्धि की जाय। अतएव यह विनिश्चय किया गया कि राज्य विधान मण्डल के सदस्यों और अधिकारियों तथा मंत्रीगण के वेतन और भत्तों और अन्य सुविधाओं को पुनरीक्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, 1980, उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952 तथा मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 को संशोधित किया जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 2004 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
आर० बी० राव,
प्रमुख सचिव।

No. 390 (2)/VII-V-1—1(KA) 10-2004

Dated Lucknow, February 27, 2004

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vidhan Mandal Sadasya Aur Adhikari Tatha Mantri Sukh Suvidha Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2004 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 10 of 2004) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on February 26, 2004.

THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE MEMBERS AND OFFICERS AND MINISTERS AMENITIES LAWS (AMENDMENT) ACT, 2004

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980 the Uttar Pradesh State Legislature (Officers Salaries and Allowances) Act, 1952 and the Uttar Pradesh Ministers (Salaries, Allowances and Miscellaneous Provisions) Act, 1981.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-fifth Year of the Republic of India as follows :—

CHAPTER I

PRELIMINARY

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Legislature Members and Officers and Ministers Amenities Laws (Amendment) Act, 2004.

(2) It shall come into force with effect from April 1, 2004.

CHAPTER II

AMENDMENT OF THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (MEMBERS' EMOLUMENTS AND PENSION) ACT, 1980

Amendment of section 3 of U.P.Act no. 23 of 1980

2. In section 3 of the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980, hereinafter referred to in this chapter as the principal Act, in sub-section (1) *for* the words "two thousand rupees" the words "three thousand rupees" shall be *substituted.*

Amendment of section 4

3. In section 4 of the principal Act, *for* the words "five thousand rupees" the words "seven thousand five hundred rupees" shall be *substituted.*

Amendment of section 5

4. In section 5 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1) *for* the words and figures "and not exceeding eighty-eight thousand rupees per annum from June 1, 1998" the words and figures "not exceeding eighty-eight thousand rupees per annum from June 1, 1998 and not exceeding one lakh twenty thousand rupees per annum from April 1, 2004";

(b) in sub-secion (2),—

(i) for the words "ten thousand rupees" the words "twenty thousand rupees" shall be *substituted*;

(ii) in the first proviso, in clause *(b) for* the words "three thousand rupees" the words "five thousand rupees" shall be *substituted.*

Amendment of section 14

5. In section 14 of the principal Act, in clause *(d)*, in the second proviso *for* the words "two members" the words "five members" shall be *substituted.*

Amendment of section 15

6. In section 15 of the principal Act,—

(a) in sub-secion (1) *for* the words "two hundred fifty rupees" the words "three hundred rupees" shall be *substituted* ;

(b) in sub-section (2) *for* the words "two hundred rupees" the words "two hundred fifty rupees" shall be *substituted* ;

(c) in sub-section (3) *for* the words "two hundred rupees" the words "two hundred fifty rupees" shall be *substituted.*

Amendment of section 15-A

7. In section 15-A of the principal Act, *for* the words "one thousand rupees" the words "two thousand five hundred rupees" shall be *substituted.*

Amendment of section 18-A

8. In section 18-A of the principal Act, in clause *(a) for* the words "one thousand rupees" the words "two thousand rupees" shall be *substituted.*

Amendment of section 24

9. In section 24 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1) *for* the words "one thousand five hundred rupees" the words "two thousand rupees" shall be *substituted* ;

(b) in the proviso *for* the words "two hundred rupees" the words "two hundred fifty rupees" shall be *substituted* ;

(c) after the first proviso the following proviso shall be *inserted*, namely:—

"Provided further that in the event of dissolution of Assembly, the period from the date of dissolution of Assembly, till the date of first meeting of the new Assembly, shall be counted for pension purposes of a member who has been the speaker of the dissolved Assembly and has continued to be in office as such during the said period ".

(d) after the aforesaid proviso the following Explanation shall be *inserted*, namely:—

"*Explanation*—Where a person have served as a member of the Assembly or the Council for a term of six months and above and have not completed one year then such person shall for the purposes of calculating the pension, be deemed to have served as a member for one year".

CHAPTER III

AMENDMENT OF THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (OFFICERS SALARIES AND ALLOWANCES) ACT, 1952

Amendment of section 2 of the U.P. Act no. 11 of 1952

10. In section 2 of the Uttar Pradesh State Legislature (Officers Salaries and Allowances) Act, 1952, hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, in sub-section (1) *for* the words "two thousand and five hundred rupees" the words "five thousand rupees" shall be *substituted.*

Amendment of section 4

11. In section 4 of the principal Act in sub-section (3) *for* the words "two thousand and five hundred rupees" the words "five thousand rupees" shall be *substituted.*

CHAPTER IV

AMENDMENT OF THE UTTAR PRADESH MINISTERS (SALARIES, ALLOWANCES AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT, 1981

Amendment of section 3 of U.P. Act no. 14 of 1981

12. In section 3 of the Uttar Pradesh Ministers (Salaries, Allowances and Miscellaneous Provisions) Act, 1981,—

(a) in sub-section (1) *for* the words "two thousand and five hundred rupees" the words "five thousand rupees" shall be *substituted* ;

(b) in sub-section (2) *for* the words "two thousand two hundred and twenty-five rupees" the words "four thousand rupees" shall be *substituted.*

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In view of price rise and increase of responsibilities, it has been considered expedient in public interest to revise, the pay, allowances, railway coupons and other amenities admissible to the members, officers and Ministers of the State Legislature and to increase the pension and railway coupons admissible to *ex*-members. It has therefore, been decided to amend the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980 and Uttar Pradesh State Legislature (Officers Salaries and Allowances) Act, 1952 and the Uttar Pradesh Ministers (Salaries, Allowances and Miscellaneous Provisions) Act, 1981 to revise the Salaries and allowances and other amenities of the members and officers and Ministers of the State Legislature.

The Uttar Pradesh State Legislature Memebers and Officers and Ministers Amenities Laws (Amendment) Bill, 2004 is introduced accordingly.

By order,
R. B. RAO,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 975 राजपत्र (हिन्दी)—(2354)—2004—597—(कम्प्यूटर/आफसेट) ।

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 259 सा० विधायी—(2355)—2004—850—(कम्प्यूटर/आफसेट) ।